**संख्या- 22/42(1)/बयालिस-2015-86(विविध)/2013**

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**खेल अनुभाग** **लखनऊ : दिनांक : 28 मार्च, 2015**

**विषय-** **मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में जिम्नास्टिक संघ, इलाहाबाद को बिद्युत लोड बढ़ाने, बाउण्ड्रीवाल, गेट तथा कैटल ट्रैप के सम्बन्ध में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपयुक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी- 997/बजट पत्रा0/2014-15, दिनांक 20 जनवरी, 2015 का सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में जिम्नास्टिक संघ इलाहाबाद विद्युत लोड बढ़ाने, बाउण्ड्रीवाल, गेट तथा कैटल ट्रैप के लिए वित्तीय वर्ष- 2014-15 में जिम्नास्टिक संघ, इलाहाबाद को विद्युत लोड बढ़ाने, बाउण्ड्रीवाल निर्माण, गेट तथा कैटल ट्रैप के सम्बन्ध में संलग्न बी0एम0- 9 (भाग- 1) प्रपत्र संख्या- 42/बयालिस-2015-86(विविध)/2013, दिनांक 26 मार्च, 2015 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 01.00 करोड (रू0 एक करोड़ मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1)- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि रू0 01.00 करोड (रू0 एक करोड़ मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके निर्माण इकाई राजकीय निर्माण निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित करते हुए निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(2)- उक्त धनराशि आहरित करने के पूर्व निदेशक, खेल यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना हेतु किसी अन्य श्रोत से धनराशि दी गई है और न ही उक्त कार्य किसी अन्य योजना में वित्तपोषण हेतु प्रस्तावित है।

(3)- उक्त कार्यों को पूर्णगुणवत्ता/मानको एवं विशिष्टियों के अनुरूप स्वीकृत लागत में ही किया जायेगा, तथा एसोसिएशन द्वारा पुनरीक्षित लागत की मांग नहीं की जायेगी। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्वि कार्यदायी संस्था एवं निदेशक, खेल का होगा।

(4)- प्रायोजना अन्तर्गत कार्य की भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इसे एसोसिएशन द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(5)- कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा अनुमानित लागत एवं निर्धारित मानकों/विशिष्टियों के अनुसार कार्य कराया जायेगा तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2015 तक व्यय करके उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(7)- नियमानुसार लेबर सेस का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

**.....2**

http://shasanadesh.up.nic.in

(8)- आगणन में प्रस्तावित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(9)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त आय-व्ययक अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 14.03.2014 एवं दिनांक 22.07.2014 में निहित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2014-15 में अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-आयोजनेत्तर-104-खेलकूद-34-प्रदेश में जिम्नास्टिक को बढ़ावा देने हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान-सामान्य गैर वेतन मद में डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी0-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रह हैं।

भवदीय,

अनिल कुमार
अनु सचिव।

**संख्या- 42(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, इलाहाबाद।
(5)- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम।
(6)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(7)- वित्त (व्यय नियमंत्रण) अनुभाग- 5
(8)- नियोजन अनुभाग- 4
(9)- मुख्य संरक्षक, इलाहाबाद जिम्नास्टिक एसोसिएशन, इलाहाबाद।
(10)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

( अनिल कुमार )
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in